न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–125/2016 (09/2007)

सरकार बनाम राधेश्याम वगै0

(प्रार्थना पत्र बावत् रिसीवरी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. रिसीवरी हटवाये जाने बावत्

आदेश दिनांकः 30.10.2019

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 05.02.2007 को मुकदमा नं. 77/06 कृष्ण कुमार बनाम राधेश्याम प्रकरण संख्या 90/06 महोदव बनाम राधेश्याम व प्रकरण संख्या 14/06 महोदव बनाम राधेश्याम तथा रिसीवरी प्रार्थना पत्र संख्या 09/07 राजस्थान सरकार बनाम राधेश्याम वगै0 उक्त सभी प्रकरण को एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायालय श्रीमान को दिनांक 05.02.2007 को उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 600 व 604 तथा उसके पश्चात साबिक खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल बने खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1619, 1620, 1615/2304 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर भूमि जो वाके ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी के पिता भूरा पुत्र चन्दा की हक व स्वामित्व की खातेदारी भूमि थी, जिसमें प्रार्थी अर्से दराज से कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। परन्तु उक्त भूमि को ए.एस.ओ. महोदय आमेर द्वारा अन्य भूमि के साथ प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि को जिसकी तत्कालीन खातेदारी प्रार्थी के पिता भूरा के नाम से दर्ज थी जिसको ए.एस.ओ. आमेर द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरित अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 21.02.1963 को किये गये जगदीश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई कर गलत रूप से निर्णय कर प्रार्थी के पिता भूरा के नाम के स्थान पर व्यवस्थापक जगदीश चन्द्र शर्मा प्याऊ बन्दौल का आदेश किया है, वह पूर्णतया विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण उक्त आदेश को प्रार्थी ने न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त जयपुर राजस्थान के यहां प्रकरण संख्या 02/07 पेश कर चुनौती दी, जिसमें तहसीलदार महोदय चौमू स्वयं भी पक्षकार थे, जिस पर भू–प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर ने ए.एस.ओ. के आदेश को कानूनी प्रावधानों के विपरित प्रारम्भतः ही शुन्य मानते हुए आदेश को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ राधेश्याम ने उक्त भूमि के सन्दर्भ में सेपरेट अपील क्रमशः अपील एल.आर. 5942/07 जयपुर तथा तहसीलदार महोदय चौमू ने अपील एल.आर. 6038/07 जयपुर के समक्ष पेश करने पर माननीय न्यायालय ने दोनों अपीलों की साथ सुनवाई कर दिनांक 03.09.2015 को सेटलमेंट कमिश्नर जयपुर के आदेश दिनांक 08.05.2007 को सेट असाईड करते हुए प्रार्थी को एक माह में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होकर चाराजोही करने हेतु आदेशित किया गया तथा माननीय राजस्व मण्डल ने भी प्रकरण में उक्त भूमि में प्रार्थी का कब्जा व खातेदारी को अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के आदेश प्रदान किये थे। इसी आदशों की पालना में प्रार्थी स्वयं ने एक अपील संख्या 78/15 ए.डी.एम. तृतीय जयपुर के यहां पेश की जिसमें भी तहसीलदार महोदय चौमू व राधेश्याम पक्षकार थे तथा ए.डी.एम. तृतीय ने समस्त तथ्यों पर गौर कर व दोनों पक्षों की सुनवाई व विचाराधीन मुकदमों को ध्यान में रखते हुए ए.एस.ओ. महोदय आमेर के आदेश दिनांक 21.02.1963 मिसल संख्या 27/63 को दिनांक 30.05.2016 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार चौमू को परीक्षण कर उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम से खोले जाने के आदेश प्रदान किये थे। माननीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पत्र में मिन प्रार्थी की भूमि को भी रिसीवरी में सम्मिलित करते हुए उक्त भूमि को कुर्क किये जाने के आदेश प्रदान किये थे, तथा वर्तमान में उक्त भूमि की परिस्थितियां पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी है तथा राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित अपीलों व ए.डी.एम. तृतीय द्वारा किये गये निर्णय की पालना में आज दिनांक तक तहसीलदार चौमू द्वारा उक्त रिसिवरी की आड में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि दोनों न्यायालयों के निर्णयों में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि उक्त भूमि का पर्चा जागीरदारान समय से ही मिन प्रार्थी के पिता भूरा पुत्र चन्दा के नाम से था तथा समस्त गिरदावरियों में भी बतौर खातेदार भूरा पुत्र चन्दा का नाम दर्ज था तथा भूरा ही बतौर खातेदारी रिसीवरी से पूर्व उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। उक्त प्रकरण में जब समस्त तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रार्थी के हक व स्वामित्व की भूमि की खातेदारी खोले जाने हेतु अपर न्यायालयों द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया तो अधिनस्थ न्यायालय का विधिक दायित्व है कि वह अपर न्यायालयों के आदेशों की सअक्षर पालना करते हुए मिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जो रिसिवरी आदेश दिये गये हैं उनको रिसिवरी से मुक्त किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी खोले जाने हेतु विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त निर्णयों की पालना नहीं की गई, तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई रूपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर कर ग्राम सामोद तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1619, 1620, 1615/2304 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर भूमि को रिसिवरी मुक्त किया जाकर ए.डी.एम. तृतीय जयपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार चौमू को प्रार्थी के नाम खातेदारी खोले जाने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के बाबत् मुकदमा नम्बर 77/2006 वाद कृष्ण कुमार बनाम राधेश्याम वगै0 व मुकदमा नम्बर 90/2006 महोदव बनाम राधेश्याम व मुकदमा नम्बर 09/2007 सरकार बनाम राधेश्याम रिसीवर व प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना स्वीकर है। विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 600 व 604 व साबिक खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1619, 1620, 1615/2304 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। विवादित भूमियां मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की अलाटशुदा भूमि थी, जिनकी खातेदारी मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से चली आ रही थी एवं कब्जा भी मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का ही चला आ रहा था तथा मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास होने के बाद मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 निरन्तर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विवादित भूमि महोदव पुत्र स्व0 भूरा माली ग्राम बन्दोल की व उसके पिता भूरा पुत्र चन्दा के स्वामित्व की खातेदारी भूमि नहीं रही है, ना ही उक्त भूमि पर महादेव का अर्से दराज से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी ए.एस.ओ. आमेर द्वारा मिन अप्रार्थी के पिता जगदीश चन्द शर्मा के नाम जरिये व्यवस्थापक प्याऊ बन्दोल खातेदारी दर्ज की थी जो खातेदारी सही दर्ज हुई थी, उक्त भूमियो के बाबत मान्य न्यायालय के समक्ष वाद महादेव बनाम राधेश्याम वगै0 विचाराधीन चल रहा है। उक्त वाद पत्र के विचाराधीन रहते कानूनन न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पेश प्रार्थना पत्र रिसीवरी में जारी रिसीवर आदेश को नहीं हटाया जा सकता है। उक्त मुकदमों में पुलिस थाना सामोद से भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें पुलिस द्वारा उक्त रिसीवर को हटाया जाना उचित नहीं माना है, बल्कि पक्षकारों के तनाव को देखते हुए रिसीवर रखा जाना उचित

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रहेगा। उक्त विवादित भूमि के बाबत् राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन चल रही है, प्रार्थी के खातेदारी अधिकार वाद पत्र में तय होने है तथा उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार न्यायालय श्रीमान को ही है ना कि तहसीलदार चौमू को। विवादित भूमि सम्पूर्ण विवादित रही है व वर्तमान में भी विवादित है, न्यायालय ने जो रिसीवरी का आदेश जारी किया था व मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर शांति भंग होने से रोकने के लिये आदेश पारित किया था, उक्त विवादित भूमियों से अन्य न्यायालयों में निर्णय होने से कानूनन रिसीवर उक्त भूमियों पर नहीं हटाया जा सकता है। उक्त भूमियों के बाबत जो भी अधिकार तय होंगे व विचाराधीन वाद महोदव बनाम राधेश्याम वगै0 में होंगे। कानूनन व इन्साफन उक्त भूमियों को रिसीवरी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के हक में जो भी निर्णय हुए हैं वे निर्णय कानून के बाहर जाकर हुये हैं, जिनकी किसी भी प्रकार से पालना करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक नहीं है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नहीं हो रही है, बल्कि अपूर्तनीय क्षति मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली में पेश उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय श्रीमान की किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी महादेव द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण झूंठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उक्त प्रकरण के सम्बंध में विभिन्न अपर माननीय न्यायालयों के निर्णय/विनिश्चय पेश किये गये जो निम्न प्रकार से है। प्रकरण में प्रथम अपील विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 21.02.1963 के विरूद्ध भू–प्रबंध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई अपील संख्या 02/2007 उनवानी महादेव बनाम राधेश्याम वगै0 में निर्णय दिनांक 08.05.2007 के मुताबिक सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर का आदेश दिनांक 21.02.1963 अवैध, कानूनी प्रावधानों के विपरीत, क्षेत्राधिकार से बाहर एवं प्रारम्भतः शुन्य मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 21.02.1963 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर (भू.अभि.), जयपुर व तहसीलदार चौमू को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निर्देशित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत अपील संख्या 5942/2007 व अपील संख्या 6038/2007 के निर्णय दिनांक 03.09.2015 के मुताबिक "Both the appeals preferred by the appellants Radheshyam, Mst. Prabhati Devi and the State Government under section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 are hereby allowed. The impugned judgment passed by the Settlement Commissioner, Jaipur dated 08.05.2007 is set aside. The present respondent is free to file first appleal before the competent court and if the said appeal is filed before the competent court within one month of issuing of this order, the first appeal would be deemed to have been filed on the date on which it was filed before the learned Settlement Commissioner for limitational aspect." आदेश पारित होने पर उक्त निर्णय की पालना में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय, जयपुर के यहां राजस्व अपील संख्या 78/2015 आदेश भू–प्रबंध अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 21.02.1963 (27/1963) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। जिसमें निर्णय दिनांक 30.05.2016 के मुताबिक " सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2015 से एक माह से संबंधित न्यायालय में अपील पेश करने के निर्देश दिये है जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा यह अपील समयावधि में पेश की गई है। अतः अपील समयावधि में मानते हुए प्रकरण का मैरिट पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निस्तारण किया जाता है। दौराने बन्दोबस्त सहायक भू–प्रबंध अधिकारी को राजस्व रिकार्ड में अंकित पूर्व के इन्द्राज को ही दोहराने का क्षेत्राधिकार है। मौजूदा इन्द्राज को किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री तथा हस्तान्तरण पत्र किसी कानूनी आदेश के आधार पर ही पुरानी प्रविष्टियों को बदल सकता है अन्यथा नहीं। इस प्रकरण में चूंकि सम्वत् 2019–23 से पूर्व की गिरदावरी भूरा पुत्र चन्दा माली के नाम चली आ रही थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होते समय भी और पर्चा लगान भी भूरा पुत्र चन्दा माली के नाम बना था। जिससे खातेदारी का हक भी प्रत्यक्षतः उसी का था। चूंकि मृतक भूरा की बेवा अन्धी थी। मृतक भूरा के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान की जांच कर स्वीकार किया जाना चाहिए था। किन्तु मृतक वारिसान के नाम नामान्तकरण खोले बिना, एक साधारण प्रार्थना पत्र पर बिना बयान, बिना गवाही तथा बिना कोई छानवीन किये तथा बिना पहचान किये एक ही दिन में खातेदारी अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पिता को दे दिये। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इसलिए सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा यह आदेश दिनांक 21.02.1963 कानूनी प्रक्रिया के विपरीत व पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बाहर दिया गया है जो प्रारम्भतः शुन्य है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.1963 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार चौमू को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में परीक्षण किया जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।" उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील संख्या 234/2016 प्रस्तुत हुई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 11.07.2018 के मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय पर्चा लगान भूरा पुत्र चन्दा माली के नाम बना है जिसकी पुष्टी अपीलान्ट के द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना से भी होती है एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी को केवल पूर्व इन्द्राज को ही दौहराने के अधिकार प्रदत्त हैं उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के इन्द्राज को बदलने के अधिकार प्रदत्त नहीं है। जबकि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, आमेर द्वारा भूरा के नाम की आराजी को अपीलान्ट के पिता के नाम किये जाने के आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिये गये हैं। जिसे उचित ठहराने के ठोस तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 को यथावत रखा जाता है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान के मध्य नियमित वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन है तथा वादग्रस्त आराजी के बेचान रहन, हस्तान्तरण इत्यादि की संभावनाएं भी प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू में विचाराधीन वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के बेचान, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि पर पाबन्दी भी लगाई जाती है। आदेश पारित किये गये। प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां एक पुनरीक्षण याचिका संख्या 10096/2007 उनवानी महादेव प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर, अपील संख्या 44/2007 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2007 व उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। जिसके निर्णय दिनांक 01.08.2016 के मुताबिक "विद्वान अधिवक्ता पक्षों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में टाईटल डिस्प्यूट

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तय हो चुका है तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का भी यह कथन है कि राजस्व मण्डल में अब यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अब यह प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। जहां तक रिसीवरी हटाने का प्रश्न है, रिसीवर नियुक्त करने का आदेश जिस न्यायालय द्वारा जारी किया जा चुका है, उसी न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए। अतः तदनुसार निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रार्थी को रिसीवर हटाने के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए अनुमति दी जाती है।" आदेश पारित हुये। उक्त आदेशों की पालना कराने हेतु प्रार्थी ने पुनः निगरानी प्रार्थना पत्र/टी.ए./2282/2018, महादेव प्रसाद बनाम सरकार प्रस्तुत किया गया। जिसके निर्णय दिनांक 09.05.2018 के मुताबिक "प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा प्रकरण संख्या 9/2007 शीर्षक राजस्थान सरकार बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 के संबंध में राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा निगरानी याचिका संख्या टी.ए./10096/2007/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2016 की पालना करवाई जावें।विद्वान एकल पीठ ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2007 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 44/2007 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2007 के संबंध में निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया था कि रिसीवर के संबंध में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा ही निर्णय पारित किया जाना है। निर्णय दिनांक 01.08.2016 की पालना अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा आज तक नहीं की गई है, जो न्यायोचित नहीं है। उच्चतर न्यायालय के निर्णय/आदेश की पालना सुनिश्चित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय का न्यायिक कर्तव्य है।" आदेश पारित किये।

उक्त अपेक्ष न्यायालयों के विनिश्चय/निर्णय उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा पुलिस थाना सामोद से रिपोर्ट तलब की गई। थाना सामोद के पत्रांक 6352 दिनांक 30.09.2016 के मुताबिक उक्त भूमि को लेकर दोनों पक्षों में आपसी खेंचतान चलती आ रही है। अगर उक्त भूमि की रिसीवरी हटायी जाती है, तो उक्त भूमि को लेकर कानून एवं शांति व्यवस्था बिगडने से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में सरकार पेरोकार द्वारा दिनांक 29.08.2019 को दस्तावेज सूची के संलग्न रिपोर्ट पुलिस थाना सामोद व रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रस्तुत की गई। प्रकरण में पुनः तहसीलदार, चौमू से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस थाना सामोद व तहसीलदार चौमूं से प्रकरण के सम्बंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार से है। रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना सामोद के पत्रांक 4473 दिनांक 05.08.2019 के मुताबिक "ग्राम सामोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1615/2304, 1619, 1620 कुल किता 6 का रकबा 2.81 हैक्टेयर पर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, चौमू प्रकरण संख्या 09/2007 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2007 द्वारा ताफैसला मूलवाद रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त भूमि थाना हाजा के रिसीवरी में है। वर्तमान में उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1615/2304, 1619, 1620 कुल किता 6 का रकबा 2.81 हैक्टेयर के संबंध में न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर में प्रकरण महादेव प्रसाद बनाम राधेश्याम वगै0 दिनांक 30.05.2016 निर्णित होकर निर्णयानुसार श्रीमान को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा प्याऊ, धर्मशाला के खसरा नम्बर 1626 रकबा 1.64 हैक्टेयर को उक्त खसरा नम्बरों की भूमि से अलग टाईटल माना है तथा अन्य न्यायालयों में भी विभिन्न प्रार्थना पत्र निर्णित हुए हैं एवं राजस्व मण्डल के समक्ष भी निगरानी याचिका महादेव प्रसाद बनाम सरकार व अन्य में श्रीमान द्वारा उक्त भूमि बाबत् टाईटल डिस्प्यूट तय होना स्वीकार कर रिसीवरी का आगे कोई औचित्य नहीं माना है। पूर्व में ग्राम जनता सामोद द्वारा उपरोक्त वर्णित दोनों भूमियों को एक मानने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार पूर्व में उपरोक्त वर्णित भूमि में टाईटल डिस्प्यूट था, जो न्यायालयों के निर्णयानुसार वर्तमान में तय हो चुका है। धर्मशाला प्याऊ की भूमि तथा महादेव प्रसाद की भूमि को अलग–अलग माना है। श्रीमान के प्रासंगिक पत्र में

सहायक कलक्टर (फर्स्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि वर्तमान में मौका पर पड़त पड़ी है। इस भूमि बाबत् टाईटल डिस्प्यूट के संबंध में अन्य कोई वाद विराधीन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्तमान में कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है।"

प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के पत्रांक आर.ए./2019/4171 दिनांक 25.09.2019 के मुताबिक "ग्राम सामोद स्थित खसरा नम्बर 816 एवं 818 के संबंध में पक्षकारों के मध्य टाइटल को लेकर विवाद होने पर इस कार्यालय द्वारा रिसीवरी प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर उक्त दोनों भूमियों को टाईटल तय नहीं होने के कारण दिनांक 05.02.2007 को पुलिस थाना सामोद को रिसीवरी में दिया गया था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, तृतीय, जयपुर की अपील संख्या 78/2015 में पारित निर्णिय दिनांक 30.05.2016 में सहायक भू0 प्रबंधक अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.1963 को निरस्त कर उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 816 जिसके हाल खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1615/2304, 1619, 1620 कुल किता 6 का रकबा 2.81 हैक्टेयर को खातेदार महादेव पुत्र भूरा माली की मानते हुए इस कार्यालय को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने बाबत् निर्देशित किया गया है तथा इसी निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा खसरा नम्बर 1626 रकबा 1.64 हैक्टेयर को ही प्याऊ, धर्मशाला की भूमि मानते हुए यथावत रखा गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के उक्त निर्णय से उक्त दोनों भूमियों को टाईटल तय मानते हुए न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर ने रिसीवरी को निस्तारित करने हेतु श्रीमान को लिखा गया है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा थाना सामोद से रिसीवरी हटाने के संबंध में वास्तविक रिपोर्ट चाही गई थी, जो पूर्व में श्रीमान को पेश की जा चुकी है। उक्त समस्त दस्तावेजों व निर्णयों के अवलोकन से यह पाया कि साबिक खसरा नम्बर 816 जिसके हाल खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1615/2304, 1619, 1620 रकबा 2.61 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 818 जिसके हाल खसरा नम्बर 1626 रकबा 1.64 हैक्टेयर है के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर स्वामित्व का निर्धारण कर दिया गया है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिसीवरी हटाने संबंधी निर्णय दिनांक 01.08.2016 को पारित किया गया है। अतः उपरोक्त न्यायालयों के निर्णयानुसार रिसीवरी हटाने की कार्यवाही की जानी उचित होगी।"

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त वर्णित विनिश्चयों से स्पष्ट है कि जब विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकारों के सम्बंध में स्वत्व (टाईटल) का निर्णय हो चुका है तथा पुलिस थाना सामोद व तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्टों में अपेक्ष (APEX) न्यायालयों के निर्णय की पालना में रिसीवरी हटाया जाना उचित होगा। प्रकरण में स्वयं प्रार्थी तहसीलदार चौमू के द्वारा लिखित में बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 प्रस्तुत कर टाईटल तय होना एवं वर्तमान में रिसीवरी हटायी जाने की कार्यवाही की जानी उचित बताया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के सम्बंध में रिसीवरी का जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त अपेक्ष न्यायालयों के विनिश्चयों/निर्णयों के आलोक में एवं प्रार्थी तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त भूमि को रिसीवरी से बागुजाश्त किया जाता है। विवादित आराजीयात खातेदारों को लौटायी जाने तथा रिसीवरी के दौरान फसल नीलामी की राशि को नियमानुसार खातेदारों को लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा.ट्रे.) चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.19 13:15:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: